

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1480

/FP/UK/HYD/42080/2019 दिनांक: देहरादून

15 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण, वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल (क्षमता 4X3000 किलोवाट) विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को हस्तान्तरण।
FP/UK/HYD/42080/2019.

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 30.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रकरण में ई०डी०एस दिनांक 30.09.2021 को वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2214/12-1 दिनांक 10.12.2021 ऑनलाईन माध्यम से लगाई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

क्र० सं०	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	प्रस्ताव से सम्बन्धित मलवा निस्तारण योजना प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिसमें कुल मलवा निस्तारण, उसका उपयोग तथा शेष मलवा निस्तारण की सम्पूर्ण जानकारी हो। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित quarry site पर मलवा निस्तारण मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार उक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित मलवा निस्तारण योजना इस कार्यालय में प्रेषित करें।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि 0.2 हे० (50 मी० X 40 मी०) वन भूमि पर प्रस्तावित quarry site का उपयोग उक्त स्थल पर उपलब्ध शिथिल boulders के चुगान के लिए किया जायेगा। Quarry site से उठाये गये boulders का उपयोग स्टोन मेशनरी एवं gabions के निर्माण पर होगा। परियोजना के water conductor system में आर०सी०सी० पावर चैनल के स्थान पर एम०एस० पाईप के द्वारा नहर का निर्माण प्रस्तावित है। अतः अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं की तुलना में परियोजना में coarse and fine aggregate की आवश्यकता निर्माण कार्यों में काफी कम होगी। प्रस्तावित quarry site पर केशर स्थापित नहीं किया जायेगा एवं बोल्टर्स के चुगान हेतु मैकेनिकल इक्वूपमेन्ट्स का भी उपयोग नहीं किया जायेगा जिससे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। अतः quarry site closure plan की आवश्यकता नहीं है। Boulders के चुगान के उपरान्त उक्त स्थल पर 4.5 मी० ऊंचाई के gabions का निर्माण कर अवशेष 4463.00 m ³ मलवे का निस्तारण किया जायेगा साथ ही भूमि समतलीकरण कर पुनः वन विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी।
2	प्रस्ताव परियोजना के administrative approval के सम्बन्ध में स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक संख्या 1689/नौ-3-ऊ/2002 दिनांक 02 नवम्बर 2002 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड को निर्माण हेतु परियोजना आवंटित की गयी थी। प्रारम्भ में परियोजना की क्षमता का आंकलन प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (preliminary feasibility report) के आधार पर किया गया था जिसमें परियोजना की क्षमता 7.8 मेगावाट आंकी गयी थी। तत्पश्चात परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण, उपलब्ध जल स्राव, डिजाईन व मशीनों की क्षमता

	<p>इत्यादि की गणना के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Projects Report) तैयार कर परियोजना की क्षमता का निर्धारण किया गया। विस्तृत Hydrological अध्ययन के उपरान्त परियोजना की क्षमता को 7.8 मे0वा0 से बढ़ाकर 12 मे0वा0 की गयी। परियोजना की संशोधित डी0पी0आर0 यूजेवीएन लिमिटेड के BoD द्वारा अनुमोदित की गयी है। यूजेवीएन लि0 के BoD के अध्यक्ष सचिव ऊर्जा उत्तराखण्ड सरकार है एवं प्रबन्ध निदेशक यूजेवीएन लिमिटेड एवं पूर्णकालिक निदेशक सदस्य है। जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु उत्तराखण्ड राज्य में (उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित) यूजेवीएन लिमिटेड नोडल एजेन्सी है। निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना की डी0पी0आर0 की स्वीकृति ही परियोजना की administrative approval है। (प्रति संलग्न)</p>
--	---

अतः प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक / FP/UK/HYD/42080/2019 /दिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 2214/12-1 दिनांक 10.12.2021 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।